



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018—ज्येष्ठ 4, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

अध्यादेश

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

क्र. आर-84-सीसी-2018-अड़तीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 28 के अनुक्रम में रैनेसा निजी विश्वविद्यालय, इन्दौर के प्रथम अध्यादेश क्र. 01-20 राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार अधिनियम, 2007 की धारा 35 अनुसार प्रकाशित किया जाता है. संस्था के उक्त अध्यादेश प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

प्रथम अध्यादेश क्र. 01-20.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जयश्री मिश्रा, अपर सचिव.





मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2017—श्रावण 2, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्र. 18176-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.



अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०१७

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक २ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"२.	रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय	आल इण्डिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, ग्राम मेंदुआ, भोपाल- चिकलौद रोड, तहसील-गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश"

(दो) अनुक्रमांक २२ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों (डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर के संबंध में) का लोप किया जाए;

(तीन) अनुक्रमांक २४ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"२५.	वी आई टी भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर	वी आई टी ट्रस्ट, २६ मूसा स्ट्रीट, टी. नगर, चैन्नई, तमिलनाडु	२०-१२-२०१२ को निष्पादित ट्रस्ट विलेख के अधीन सृजित तथा टी. नगर, चैन्नई, तमिलनाडु में क्रमांक ६५४/२०१२ के रूप में रजिस्ट्रीकृत वी आई टी ट्रस्ट	वी आई टी भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल- इन्दौर राष्ट्रीय राजमार्ग, कोठरी कलां, सीहोर- ४६६११४	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश



(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
२६.	सेज विश्वविद्यालय, इन्दौर	टूबा एजुकेशन सोसाइटी, २५०, सागर प्लाजा, जोन-२, एम.पी. नगर, भोपाल	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	सेज विश्वविद्यालय, कैलोद करताल, इन्दौर-देवास बायपास, राऊ, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२७.	रैनेसा विश्वविद्यालय, इन्दौर	कौटिल्य चन्द्रगुप्त एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम रिओती, सांवेर रोड, श्री अरविन्दो हास्पिटल के पीछे, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	रैनेसा विश्वविद्यालय, ग्राम रिओती, सांवेर रोड, श्री अरविन्दो हास्पिटल के पीछे इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ४ सन् २०१७) निरसन तथा व्यावृत्ति. २०१७) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) के उपबंधों के अनुसार एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर की स्थापना की गई थी, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक २७ अगस्त, २०१६ में सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया था. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल ने अपने पत्र दिनांक ९ फरवरी, २०१७ में राज्य सरकार को सूचित किया है कि डेली कॉलेज सोसाइटी, इन्दौर के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक २२ जनवरी, २०१७ में आयोग से यह निवेदन किया है कि वित्तीय स्थिति का सामना करने के चलते सोसाइटी ने निजी विश्वविद्यालय परियोजना की स्थापना को वापस लेने का विनिश्चय किया है. आयोग की अनुशंसा के अनुसार डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर का, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुक्रमांक २२ में के उसके नाम तथा विवरण का लोप करके, समापन किया जाए.

२. मूल अधिनियम की धारा ५ में यह उपबंधित है कि अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालय, अर्थात्—वी आई टी भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल-इन्दौर, राष्ट्रीय राजमार्ग, कोठरी कलां, सीहोर तथा सेज विश्वविद्यालय, राऊ, इन्दौर स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिए हैं. उक्त अधिनियम की धारा ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करके समाधान हो जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ४ सन् २०१७) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि सर्वप्रथम उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम, ग्राम मेंदुआ, भोपाल-चिकलोद रोड, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन में स्थित आईसेक्ट विश्वविद्यालय, जो कि मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन वर्ष २०१० में स्थापित किया गया था, का नाम बदलने के लिए परिवर्तन के साथ लाया जाए, और इसका नाम परिवर्तित करने का कारण यह है कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय का प्रायोजी निकाय आईसेक्ट के नाम से विभिन्न अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संचालित कर रहा है जो विश्वविद्यालय के नाम के संबंध



में भ्रम उत्पन्न करता है। अतएव, इस भ्रम को दूर करने के लिए आईसेक्ट विश्वविद्यालय का नाम रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाना है, द्वितीय, एक नया विश्वविद्यालय, अर्थात् रैनेसा विश्वविद्यालय, ग्राम रिओती, इन्दौर स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसका प्रस्ताव विनियामक आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया है।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १८ जुलाई, २०१७

जयभान सिंह पवैया
भारसाधक सदस्य।

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक ७ सन् २००७) में दिए गए प्रावधान अनुसार विनियामक आयोग निजी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है। आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार आशय पत्र जारी करती है। अधिनियम, २००७ की धारा-९ में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा निरीक्षण आदि की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत राज्य शासन को रिपोर्ट भेजी जाती है। उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत समाधान होने पर निजी विश्वविद्यालय का नाम एवं विवरण अधिनियम की अनुसूची में संशोधन कर जोड़ा जाता है।

नया अकादमिक सत्र जुलाई २०१७ से प्रारंभ होने वाला था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था। अतः छात्रहित में दो निजी विश्वविद्यालय व्हीआईटी, भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर, सेज विश्वविद्यालय, इन्दौर की स्थापना एवं एक डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर का परिसमापन करने हेतु संशोधन अध्यादेश, २०१७ लाया गया जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक १३ जून, २०१७ को प्रकाशन हो गया है।

अतः अध्यादेश को पुरःस्थापित करने तथा एक विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन एवं एक अन्य निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यह विधेयक प्रस्तुत है।



अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017—श्रावण 11, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्र. 177-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.



MADHYA PRADESH BILL

No. 16 OF 2017

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2017

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2017.

Amendment of Schedule.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007),—

(i) for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of Private University	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2.	Rabindranath Tagore University	All India Society for Electronics and Computer Technology.	Registered society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Rabindranath Tagore University, Village Mendua, Bhopal-Chiklod Road, Tehsil Goharganj, District Raisen (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh";

(ii) serial number 22 and entries relating thereto (regarding D. C. University, Indore) shall be omitted;

(iii) after serial number 24 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

S. No.	Name of Private University	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"25.	VIT Bhopal University, Sehore	VIT Trust, 26 Moosa Street, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu.	VIT Trust created under the Trust Deed executed on 20-12-2012 and registered as No. 654/2012 at T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu.	VIT Bhopal University, Bhopal-Indore National Highway, Kothri Kalan, Sehore 466114	Whole of Madhya Pradesh.
26.	Sage University, Indore.	Truba Education Society, 250 Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal.	Registered society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Sage University, Kailod Kartal, Indore-Dewas Bypass, Rau, Indore.	Whole of Madhya Pradesh.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Renaissance University, Indore	Kautilya Chandragupt Education Society, Gram Reoti, Sanwer Road, Behind Sri Aurobindo Hospital, Indore	Registered society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Renaissance University Gram Reoti, Sanwer Road, Behind Sri Aurobindo Hospital, Indore.	Whole of Madhya Pradesh."

3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2017 (No. 4 of 2017) is hereby repealed. **Repeal and saving.**

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the provisions of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the D. C. University, Indore was established by an amendment Act, which was duly notified in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 27th August, 2016. The Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission, Bhopal in its letter dated 9th February, 2017 informed the State Government that the President, Daly College Society, Indore in her letter dated 22nd January, 2017 has requested the Commission that on account of challenging financial position, the Society has decided to call off the Setting up of the Private University project. As per the recommendation of the Commission, the D. C. University, Indore shall be winded up by omitting the name and description thereof in serial number 22 of the Schedule to the said Act.

2. In section 5 of principal Act, it is provided that the Regulatory Commission constituted under the Act shall evaluate the proposal of establishment of Private University in the State. In the light of the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish the Private Universities, namely, VIT Bhopal University, Bhopal-Indore National Highway, Kothri Kalan, Sehore and Sage University, Rau, Indore. In the light of section 6 of the said Act, the State Government have issued the letters of intent to the sponsoring bodies of the said Universities. with regard to the establishment of the said Universities Section 9 of the said Act provides that after being satisfied on considering the report submitted by the Regulatory Commission, Private University shall be established by incorporating the name and description thereof in the Schedule to the said Act.

3. As the matter urgent and the Madhya Pradesh Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2017 (No. 4 of 2017) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said Ordinance by an Act of State Legislature with modifications firstly, as to change of the name of AISECT University situated at village Mendua, Bhopal-Chiklod Road, Tehsil Goharganj, District Raisen, which was established in the year 2010 under the provisions of the principal Act, and the reason of change of its name is that the sponsoring body of the AISECT University is conducting various other academic activities in the name of AISECT, which creates confusion regarding name of the University. Therefore, to remove this confusion the name of AISECT University is to be changed to Rabindranath Tagore University. Secondly a new private University namely Renaissance University, Gram Reoti, Indore is also proposed to be establish, the proposal of which has been duly approved by the Regulatory Commission and the State Government.

4. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 18th July, 2017.

JAIBHAN SINGH PAWAIYA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.

